



कार्यालय, संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें,  
क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, परिसर, सीपत रोड, बिलासपुर छ0ग0  
Email-jdhsbsp61@gmail.com

क्रमांक/स्था अवि/2023/ 1139

// विज्ञप्ति //

बिलासपुर, दिनांक 22/8/23

विषय :- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. अंतर्गत बिलासपुर संभाग में विभिन्न पद के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु संवर्गवार अनंतिम मेरिट सूची के आधार पर दस्तावेज सत्यापन की सूचना ।

---000---


विषयांतर्गत लेख है कि संचालक स्वास्थ्य सेवायें इनद्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/स्था.अवि./312/2021/855 दिनांक 23.08.2021 में दिये गये अनुमति अनुसार एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छ.ग. शासन अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग ( संचालनाय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 सेवा संवर्गों के निम्नांकित रिक्त पदों की खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा वरिष्ठ तकनीकी निर्देशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ( एन.आई. सी.) के माध्यम से विज्ञापन जारी 231 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर दिनांक 20.06.2022 से 05.07.2022 तक (समय सायं 5:00 बजे तक) ऑनलाईन आवेदन एन.आई. सी की वेबसाईड [www.cghealth.nic.in](http://www.cghealth.nic.in) पर आमंत्रित किये गये हैं। तत्संबंध में दावा आपत्ति निराकरण कर सूची दावा आपत्ति पश्चात् अनंतिम मेरिट सूची तैयार कर जिले के वेबसाईड [www.bilaspur.gov.in](http://www.bilaspur.gov.in) एवं विभागीय वेबसाईड [www.cghealth.nic.in](http://www.cghealth.nic.in) पर प्रकाशित की गई है। अनंतिम मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन दिनांक 28 अगस्त 2023 से 04 सितम्बर 2023 को स्थान क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र नूतन चौक सीपत रोड सरकंडा, जिला बिलासपुर में अयोजित की जानी है। जिसकी विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	दस्तावेज सत्यापन दिनांक	समय	दस्तावेज सत्यापन स. क्र.	संख्या
01	02	03	04	05	06
01	रेडियोग्राफर	28 अगस्त 2023	प्रातः 11:00 बजे से 4:00 बजे तक	स.क्र. 01 से 90 तक	100
02	मेडिकल लैब टेक्नोलॉरिस्ट	सोमवार		स.क्र. 01 से 10 तक	
03	रेफ्रिजरेटर मैकेनिक	29 अगस्त 2023		स.क्र. 01 से 40 तक	100
04	सायकेट्रिक नर्स	मंगलवार		स.क्र. 01 से 60 तक	
05	सायकेट्रिक नर्स	31 अगस्त 2023		स.क्र. 61 से 92 तक	112
06	नेत्र सहायक अधिकारी	गुरुवार		स.क्र. 01 से 80 तक	
07	नेत्र सहायक अधिकारी	01 सितम्बर 2023		स.क्र. 81 से 190 तक	110
08	नेत्र सहायक अधिकारी	04 सितम्बर 2023		स.क्र. 191 से 200 तक	100
09	ओ.टी. टेक्नीशियन	सोमवार		स.क्र. 01 से 90 तक	

नोट- अभ्यर्थी उपरोक्त सारणी के कॉलम 03 में दर्शित तिथि अनुसार कॉलम 05 में दर्शित सरल क्रमांक अनुसार उपस्थिति दें।

1. अभ्यर्थी को अपने साथ विज्ञापन में दर्शित दस्तावेजों (10वीं, 12वीं, स्नातक समस्त वर्ष की अंकसूची, समस्त वर्ष के नर्सिंग अंकसूची, छ.ग. कौंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव/अनापत्ति प्रमाणपत्र, भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग प्रमाण पत्र) इत्यादि की मूल प्रति एवं दो स्वप्रमाणित छायाप्रति लाना अनिवार्य होगा।

2. अभ्यर्थी अपने साथ पहचान पत्र (आधार कार्ड/ड्रायविंग लाईसेंस/मतदाता परिचय पत्र) अनिवार्य रूप से लावें।
- 2.1 दस्तावेज का निम्न क्रम में ही मूल दस्तावेज से सत्यापन किया जावेगा। अभ्यर्थी को स्वप्रमाणित छायाप्रति निम्न क्रम में ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अपात्र किया जा सकेगा।
1. 10वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि अंकित हो।
  2. 12वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र।
  3. स्नातक सभी वर्ष का अंकसूची/सभी वर्ष की नर्सिंग अंकसूची।
  4. छ.ग. नर्सिंग कौंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
  5. मूल निवास प्रमाण पत्र।
  6. समक्ष अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित वर्ग का जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
  7. निर्धारित प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र के पुष्टि हेतु मूल नियुक्ति आदेश के साथ ही बैंक पासबुक जिसमें वेतन आहरण संबंधि पुष्टि की जा सके।
  8. अनापत्ति प्रमाण पत्र।
  9. कोविड 19 बोनस अंक हेतु कोविड 19 कार्य के संबंध में जारी विज्ञापन के तहत चयन उपरांत नियुक्ति का नियुक्ति का आदेश प्रति।
  10. भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग प्रमाण पत्र।
  11. समस्त अभ्यर्थी कृपया उक्त क्रम में समस्त प्रमाण पत्रों की 02 सेट में स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति जो मूल प्रमाणपत्र से सत्यापित किया जा सके। मूल प्रमाण पत्रों का क्रम भी उपरोक्तानुसार ही रखा जावे, जिसका कड़ाई से पालन करेंगे इससे दस्तावेज सत्यापन में सुविधा होगी।
3. अभ्यर्थी को उक्त दस्तावेज परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का टी.ए./डी.ए. इस कार्यालय/ संस्था द्वारा देय नहीं होगा।
4. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपरोक्तानुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उन्हें उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पृथक से अतिरिक्त समय नहीं दिया जावेगा।
5. अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन किये जाने हेतु निर्धारित स्थल - कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र परिसर नूतन चौक सीपत रोड सरकंडा, जिला बिलासपुर में उपस्थित होंगे।

  
संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें  
बिलासपुर छ0ग0